



281




न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

2

III निगरानी भिंड/भूरा/२०१७/५२९७

प्र०क० पी.वी.आर/२०१७/ निगरानी



- 1 शारदा देवी पत्नी स्व.श्री विद्याराम
 - 2 सोनू पुत्र स्व.श्री विद्याराम
 - 3 दरवार सिंह पुत्र स्व.श्री विद्याराम
 - 4 आशा पुत्री स्व.श्री विद्याराम
- निवासीगण ईश्वरगढ मरकोरी तहसील
गोहद जिला भिण्ड
- 5 श्रीमती राधा पुत्री स्व.श्री विद्याराम
- पत्नी श्री राणाजीत निवासी ईश्वरगढ
हाल मुकान ग्राम हस्तिनापुर जाटव
मोहल्ला परगना व जिला ग्वालियर

—प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमती रामवेटी पुत्री स्व.श्री वारेलाल
उर्फ कैलाश पत्नी श्री प्रहलाद सिंह
निवासी गुरी परगना व जिला
ग्वालियर म०प्र०

—प्रतिप्रार्थी

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०राजस्व सहिता 1969 के तहत

मज्ञेदय,

निवेदन हैकि प्रार्थीगणो द्वारा निगरानी आवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड द्वारा प्रकण कमाक 34/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 10.04.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है जिसका मुख्य आधार पर यह है ।

क्रमशः2



दिनांक 8-11-17 का
श्री कमाक 34-प्रकार का
5127 अंकुश
8-11-17
दिनांक 16-11-17

Motul
16-11-17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/4297

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> 	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>